न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 161/17 **निर्णय दिनांकः** 6-11-17

1. भानीराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी सहजरासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23—03—2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 23—03—2017 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण सुओमोटर रिव्यू कर निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 2 जे.डब्ल्यू.एम जिसके वर्तमान सीएडी चक 3 जेडब्ल्यूएम व 1 जे.डब्ल्यू.

एम. के मुरब्बा नम्बर 174/38 व 174/13 की 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दिनांक 01—12—1993 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन आदेश व कब्जे बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—03—2017 को अपीलांट का आवंटन यह कहते हुए सूओमोटो खारिज कर दिया गया कि अपीलांट को आवंटित रकबा पूर्व से ही रेवन्तराम पुत्र रामूराम व पुरखाराम पुत्र टीकुराम को आवंटित है। अतः प्रार्थी भानीराम पुत्र लिछमणराम को किया गया आवंटन में आवंटन आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या उक्त रकबा सामान्य/भूमिहीन के तहत निर्विवाद रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध था अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को भूमिहीन के तहत आवंटन किया गया। इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित हो चुकी है। इस कारण अदालत मातहत ने अपीलांट का आवंटन सूओमोटो खारिज किया है। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटनशुदा है, तथा उनके कब्जे काश्त में है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से दिनांक 01—12—1993 को चक 3 जेडब्ल्यूएम व 1 जे.डब्ल्यू.एम. के मुरब्बा नम्बर 174/38 व 174/13 की 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दिनांक 01—12—1993 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया।

(2) तत्पश्चात् अपीलांट का आवंटन दिनांक 23—03—2017 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सुओमोटो यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलांट को आवंटित आराजी जैर सामान्य/भूमिहीन के तहत पूर्व से ही रेवन्तराम पुत्र रामूराम व पुरखाराम पुत्र टीकुराम को आवंटित है।

(3) प्रकरण में अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन सलाहकार समिति की राय से बाद जॉच आराजी जैर सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में उपलब्ध होने के आधार पर आवंटित की गई। उक्त आराजी पूर्व में ही अन्य काश्तकार को आवंटित थी, इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। अपीलांट द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।

उपखण्डाधिकारी ने अपने निर्णय में तहसीलदार रिपोर्ट कि प्रार्थी को आवंटित रकबा चक 2 जे डब्ल्यू एम वर्तमान सीएडी चक 3 जेडब्ल्यूएम व 1 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 174/13 व 174/38 की 21 बीघा कमाण्ड भूमि पूर्व से ही रेवन्तराम पुत्र रामूराम मेधवाल एवं पुरखाराम पुत्र टीकुराम नायक तथा मनोज कुमार पुत्र शिवकुमार ब्राहमण को आवंटित है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त आधार पर प्रकरण सुओमोटो रिव्यू कर प्रार्थी को दिनांक 01—12—1993 को किया आवंटन निरस्त किया गया है। उक्त निर्णय में निरस्त करने का कोई सकारण आदेश पारित नहीं किया एवं पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश करने हेतु भी लिखा है।

(4) अपीलांट को वर्ष 1993 में भूमिहीन के तहत आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटन व कब्जा लेने बाबत् कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया। तत्पश्चात् 24 वर्ष के अंतराल के उपरान्त आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन यह कह कर खारिज कर दिया जाता है कि आराजी जैर पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा है अतः अपीलांट का आवंटन सूओमोटो निरस्त किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच अपीलांट को आवंटन से पूर्व क्यों नहीं की गई?

(5) अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का आवांटन सूओमोटो खारिज किया गया है। विधि का यह सिद्वान्त है कि किसी भी आदेश को सूओ मोटो उसी स्थिति में खारिज किया जा सकता है जब अपीलांट स्वयं द्वारा किसी तथ्य को छिपाया गया हो, अथवा न्यायालय को गुमराह करके कोई आदेश पारित करवा गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे प्रतीत हो कि अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह करके अथवा तथ्यों को छिपाया जाकर आदेश पारित करवाया गया हो। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा सूओमोटो आदेश पारित किया गया है स्वीकार योग्य नहीं है।

(6) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। अपीलांट की भूमिहीन/सामान्य श्रेणी की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(7) इस सबंध में तुलसाराम बनाम दूड़ाराम वगैरा 2001 आरआरसी 425—2001(2) आरआरटी 1087 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि:—

" If a reason behind cancellation of allotment of land was mistake of an officer; It was held that allottee should not be made to suffer for the mistake committed by the officer"

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–03–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6/12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर